

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

दिनांक - 22/2/12

क्रमांक - राजस्व/11/159/

आदेश :-

यतः उप खण्ड अधिकारी थानागाजी से आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 5.35 है० मे से 0.75 है० एवं ख० नं० 425 रकबा 1.85 है० मे से 1.25 है० कुल किता 2 रकबा 2.00 है० किस्म चारागाह ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को मॉडल सीनियन सैकण्डरी स्कूल नाथूसर हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुये है। जिसमे चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु आ० ख० नं० 34 रकबा 0.81 है० किस्म बारांनी तृतीय एवं ख० नं० 161 रकबा 1.40 है० मे से 1.19 है० किस्म बारांनी प्रथम (सिवायचक लगानी) कुल किता 2 रकबा 2.00 है० ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को प्रस्तावित किया है।

उक्त प्रस्तावित भूमि के क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर पंचायत समिति थानागाजी द्वारा सर्व सम्मति से भू आवंटन का प्रस्ताव पारित किया है तथा उप नगर नियोजक एनसीआर जयपुर ने अपने पत्रांक टीपीआर/एनसीआर/आवंटन/थानागाजी/11/108 दिनांक 23.1.12 के द्वारा सशर्त भूमि आवंटन की अनापत्ति जारी की है।

अतः उक्त पत्र के क्रम मे आ० ख० नं० 34 रकबा 0.81 है० किस्म बारांनी तृतीय एवं ख० नं० 161 रकबा 1.40 है० मे से 1.19 है० किस्म बारांनी प्रथम (सिवायचक लगानी) कुल किता 2 रकबा 2.00 है० ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी को चारागाह हेतु आरक्षित करते हुए, आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 5.35 है० मे से 0.75 है० एवं ख० नं० 425 रकबा 1.85 है० मे से 1.25 है० कुल किता 2 रकबा 2.00 है० किस्म चारागाह ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, अर्मशाला आदि सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत मॉडल सीनियन सैकण्डरी स्कूल नाथूसर हेतु 99 वर्षों की लीज पर निम्न शर्तों के अध्याधीन निःशुल्क आवंटन की जाती है।



शर्त :-

01. आवंटित आराजी की विद्यमानुसार सीज कीड सम्पादित कराई जावेगी।
02. आवंटित अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना आवंटित आराजी का किसी प्रकार का देवान रहन एवं हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा।
03. भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटित हुई है, उसी प्रयोजन के काम में ली जावेगी।
04. आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृति जारी होने की 6 माह की अवधि में आरम्भ किया जाकर 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जावेगा।
05. प्रस्तावित भूमि नाथूर से जयपुर रोड पर ग्रेवल सड़क पर स्थित पटवारी रिपोर्ट में बताया गया है। इस सड़क का मार्गाधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखा जाएगा।
06. प्रस्तावित भूमि पर निम्नलिखित मापदण्ड अनुज्ञेय होंगे।
  01. अग्र सेटबैक 18 मीटर।
  02. शेष तीनों ओर 9 मीटर।
  03. भवन के शेष मापदण्ड भवन विनियम 2010 के अनुरूप रखे जावेंगे।
07. संस्था द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार भू गर्भ का जल स्तर बढ़ाने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए समुचित क्षमता का भूनिगत एक या एक से अधिक टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु दोरवेलनुमा अथवा सॉकपीट (Sock-Pit) जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।
08. संस्था द्वारा भवन निर्माण हेतु अन्य मापदण्ड मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार रखा जावेगा।
09. संस्था द्वारा आगन्तुकों के वाहनों की पार्किंग मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार एवं आवासीय भूखण्डों के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
10. संस्था द्वारा भूकम्प रोधी बनाने एवं अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(10) नि.वि.वि/3/2003 दिनांक 24.10.07 उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मान ब्यूरो के विभिन्न आई एस कोड के उपबंधों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जिसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
11. संस्था द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू हों) के सभी संबंधित प्रावधानों के दृढ़ता पूर्वक पालना की जावेगी।



12. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार जलमल संबंधी विभिन्न व्यवस्थारे राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी जो संख्या द्वारा स्वयं अपने स्तर की करनी होगी।
13. प्रस्तावित भूमि का उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा।

जिला कलेक्टर,

अलवर

दिनांक - 22/12/12

क्रमांक - राजस्व/11/ 1531/97

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
02. उप खण्ड अधिकारी थानागाजी।
03. तहसीलदार थानागाजी नियमानुसार आवंटित आराजी का राजस्व रिकार्ड में अनल दराजद कराये एवं तितम्बा कांटा जावें।
04. जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अलवर को भेजकर लेख है कि आप लीजडीड निष्पादित कराये।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को भेज कर लेख है कि शर्त संख्या पौंच के अनुसार जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अलवर को सडक के मार्गाधिकार से अदगत करावें।
06. संरपच ग्राम पंचायत नाथूसर पंचायत समिति थानागाजी।
07. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,  
अलवर



# AREA STATEMENT

G.F. Plinth Area = 18546.98

P.F. Plinth Area = 13744.27

TOTAL Plinth Area = 32291.25 Sq.Ft.


## NOTE:-

1. Correction/visions done as suggested wide letter no RCSE/civil/SE-84/D-4150 dated 9.4.15
2. Minor modifications suggested on 10.04.15 by the education dept. in the meeting with principal secretary(RCSE) have been incorporated.

*[Signature]*  
SESE/50/10/15

*[Signature]*  
RCSE/PC

ARCHITECT	ARVIND BHAGAVAT	CHIEF ARCHITECT	CHIEF ARCHITECT	10/04/2015
CLIENT	RITU GUPTA	SR. ARCHITECT	SR. ARCHITECT	
PROJECT	DEVIYU	R.D. STABALA	SR. ARCHITECT	
PROPOSED MODEL SCHOOL (TYPE DESIGN)				
GROUND FLOOR PLAN				
PROJECT NO.	ANCR/64/2015	SCALE	DATE	10.04.2015
RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD. JAIPUR				



1. Road level assumed 0'-0"

*[Signature]*  
RCSE/50/10/15